कार्यालय सचिव, उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ।

पत्र संख्या –4093/26 दिनांक – 22/05/2026

आवश्यक सूचना

उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी से सम्बद्धता प्राप्त सहबद्ध और स्वास्थ्य देख–रेख (पैरामेडिकल) प्रशिक्षण केन्द्रों को सूचित कराना है कि उत्तर प्रदेश राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख–रेख परिषद नियमावली 2023 की अधिसूचना उ0प्र0 शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 संख्या–25/71–4099–192–2921 लखनऊ 17 फरवरी, 2023 जारी की जा चुकी है, जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख–रेख परिषद का गठन हो चुका है तथा नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थकेयर प्रोफेशन एक्ट, 2021 में निहित व्यवस्था के अनुसार सभी प्रकार के सहबद्ध और स्वास्थ्य देख–रेख (पैरामेडिकल) पाठ्यक्रमों (Allied and healthcare professional programmes) के नियमन, संचालन एवं संबंधित अग्रेतर कार्यवाही उत्तर प्रदेश राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख–रेख परिषद के द्वारा की जा रही है।

उक्त के क्रम में सहबद्ध और स्वास्थ्य देख–रेख (पैरामेडिकल) पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया, नियमन, संचालन एवं नये संस्थान/पाठ्यक्रमों को खोलने/सीट वृद्धि किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख–रेख परिषद के दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

(डा0 अनुराग श्रीवास्तव),
सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी।